न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 01/2021
जी.सी.एम.एस. :: 2021/13

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. भंवरसिंह पुत्र पेपसिंह, जाति राजपूत निवासी मानी, तहसील रानी जिला पाली

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 30/04/2026

प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या रेफरेन्स/एलआर/4594/2014/पाली अनवान सरकार बनाम भंवरसिंह में पारित निर्णय दिनांक 02.12.2020 की पालना में पुनः दर्ज किया जाकर माफिक निर्णय रेकर्ड तलब किया गया एवं अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से सरकारी पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम मानी तहसील मारवाड़ जंक्शन की मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010–19 के अनुसार गत खसरा संख्या 401 की किस्म गै.मु.वाली थी, जिसके हाल खसरा संख्या 452/1 रकबा 2.5293 किस्म बारानी सोयम का नियमन/आवंटन उपखण्ड अधिकारी सोजत के द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 16.05.1976 को किया गया एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण के द्वारा अप्रार्थी को जैर आराजी में खातेदार दर्ज किया गया। वक्त आवंटन जैर आराजी की किस्म गै.मु.वाली थी, जिसकी किस्म परिवर्तन कर बारानी सोयम की जाकर अप्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। जैर आराजी की किस्म राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में जैर आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल की जानी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्राथी के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन दिनांक 16.05.1976 को निरस्त करवाकर जैर आराजी की किस्म पुनः गै.मु.वाली दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाये जाने का निवेदन किया है।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम मानी तहसील मारवाड़ जंक्शन की जमाबन्दी सम्वत्

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

2073–2076 के अनुसार खसरा संख्या 452/1 रकबा 2.5293 किस्म बारानी सोयम अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम मानी के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत खसरा संख्या 401 के वर्तमान खसरा संख्या 452/1 है तथा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2004–2005 के अनुसार खसरा संख्या 401 वाली के रूप में दर्ज है एवं खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010–2019 के अनुसार उक्त खसरा गै.मु. के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि की मूल किस्म गै.मु.वाली थी तथा आवंटन के दौरान उक्त भूमि की किसम परिवर्तन कर गै.मु.वाली से बारानी सोयम कर दी गई। जैर आराजी के सम्बन्ध में आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 16.05.1976 के द्वारा उक्त भूमि अप्रार्थी के पक्ष में आवंटित की गई, जिसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 17.05.1976 के द्वारा आवंटी को गैर खातेदार दर्ज किया गया। इसके पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 367 दिनांक 22.02.1987 के द्वारा अप्रार्थी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया गया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा निर्णित मुकद्दमें के या उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों के अभिलेख पर दिये गये आदेश की वैधता अथवा औचित्य से तथा कार्यवाहियों की नियमितता से अपने आप को सन्तुष्ट करने के प्रयोजन के लिये अभिलेख मंगाने एवं परीक्षण करने के पश्चात मण्डल को अथवा राज्य सरकार को रेफरेन्स करने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में भूमि कि किस्म गै.मु.वाली दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है तथा प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार होने से खातेदारी अधिकार भी प्रदान नहीं किये जा सकते है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त शिवजी लाल व अन्य बनाम बोर्ड आफॅ रेवेन्यू व अन्य, 2007(2) सी.डी.आर. 1724(राज) : 2007(2) डी.एन.जे. (राज) 898 एच.सी. में यह प्रतिपादित किया कि तालाब या नदी के पेटे की भूमि मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के कारण खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत (Accrue) नहीं होते।

जैर आराजी का आवंटन आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण के द्वारा अप्रार्थी को जैर आराजी में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। राजस्व (ग्रुप–7) विभाग जयुपर के परिपत्र क्रमांक–प3(146) राज–7/2011 दिनांक 05.07.2012 के अनुसार केचमेण्ट क्षेत्र को माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.02.2012 में परिभाषित किया है, यह निम्नानुसार है – where ever the word catchment has been mentioned presently it should consider to mean the land of the river, pond, tributaries etc from where water flows. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 की उपधारा 5 के अनुसार रेफरेन्स के लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त कस्तूरी बाई बनाम स्टेट आफॅ राजस्थान, 2002(1) सीडीआर 648 (राज.) : 2002 (2) डी.एन.जे. (राज.) 933 के अनुसार रेफरेन्स के मामलों में परिसीमा अधिनियम लांगू नहीं होता। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर तहरीर करते समय उक्त भूमि कि किस्म गै.मु.वाली से बारानी सोयम दर्ज की गई है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में जैर आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल की जानी है, इसके तहत उक्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

रेफरेन्स मेन्टेनेबल है तथा हस्तगत प्रकरण इससे पूर्णतः प्रभावित है। प्रकरण के तथ्यों के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान सरकान बनाम लट्टू, 2013 आर.आर.डी. 727: 2014 (1) आर.आर.टी. 256 में यह अभिनिर्धारित किया कि भूमि गैर मुमकिन नाला दर्ज थी–विपक्षी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई सम्बन्धित नामान्तरण प्रभावित हुआ– धारा 16 आर.टी.ए. के अनुसार नदी, नाला, तालाब की भूमि में खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते–निदेश स्वीकार किया गया। भूमि को पुनः सिवाय चक गैर मुमकिन दर्ज किए जाने का आदेश हुआ नामान्तरण किया गया, जो कि हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। इसलिये आवंटन कमेटी द्वारा किए गए आवंटन आदेश दिनांक 16.05.1976 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 17.05.1976 तथा पश्चात्वर्ती नामान्तरकरण संख्या 367 दिनांक 22.02.1987 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि ग्राम मानी तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा संख्या 452/1 के सम्बन्ध में अप्रार्थी के पक्ष में नियमन आदेश दिनांक 16.05.1976 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 17.05.1976 तथा पश्चात्वर्ती नामान्तरकरण संख्या 367 दिनांक 22.02.1987 को निरस्त फरमाया जाकर जैर प्रार्थना पत्र आराजी पुनः गैर मुमकीन वाली दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)